पुलिस आदेश सं. 210 /99

विषय:- बिहार आरक्षी सेवा के आरक्षी उपाधीक्षक श्रेणी के पदाधिकारियों के पी.टी.सी.,हजारीबाग में 12 माह के बुनियादी प्रशिक्षण से संबंधित विषयों और उनकी अंतिम परीक्षा के विषय में ।

पुलिस हस्तक नियम 677 में यह अंकित है कि सीधी नियुक्ति वाले बिहार पुलिस के आरक्षी उपाधीक्षक, सेवा में नियुक्ति के पश्चात 12 माह के लिए पी.टी.सी.,हजारीबाग में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे । इस अवधि के अन्त में वैसे उपाधीक्षक जिन्हें फीट पाया जाएगा ,उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कुछ चुने हुए आरक्षी अधीक्षकों के अधीन जिलों में भेजा जाएगा ।

अभी तक पी.टी.सी.,हजारीबाग में उपाधीक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम एवं अन्त में ली जाने वाली परीक्षा, उपाधीक्षकों को फीट पाए जाने की प्रक्रिया आदि पर कोई विशिष्ट निर्देश पुलिस हस्तक अथवा किसी पुलिस आदेश में नहीं है ।

सभी बिन्दुओं पर भलिभांति विचार कर यह पाया गया कि गोरे कमिटि प्रतिवेदन के अनुसार सहायक आरक्षी अधीक्षक एवं उपाधीक्षक श्रेणी के पदाधिकारियों का दायित्व एवं कार्यभार समान रहता है । अत: उपाधीक्षकों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम भी सहायक आरक्षी अधीक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार ही होना चाहिए । अनुमोदित पाठ्यक्रम इस आदेश के साथ अनुलग्नक है ।

पी.टी.सी.में इस पाठ्यक्रम की अवधि 12 महीना की होगी । बाह्य तथा अन्त: विषय पर इस आदेश के आलोक में परीक्षा ली जाएगी ।

बाह्य विषयों में परेड, ड्रील तथा अस्त्र से संबंधित सभी पेपर में प्रशिक्षु को पी.टी.सी.,हजारीबाग के प्रशिक्षण के दौरान ही सफल होना अनिवार्य होगा । उसी प्रकार अन्त: विषयों में विधि-एक, विधि-दो, विधि-तीन, पेपर-6 विधि विज्ञान एवं पेपर-8 जो आरक्षी विज्ञान से संबंधित है उसमें भी प्रशिक्षु को पी.टी.सी.,हजारीबाग में ही सफल होना अनिवार्य होगा । उपर्युक्त बाह्य एवं अन्त: विषय में यदि प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण होते हैं ,तो उन्हें जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जाएगा बल्कि पी.टी.सी.,हजारीबाग में ही रोककर 15 दिनों के अन्दर पुनः अनुत्तीर्ण विषय के परीक्षा में शामिल किया

जाएगा । अगर कोई प्रशिक्षु उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में दो प्रया सफल नहीं होते हैं , तो उनके परीक्ष्यमान अवधि को समाप्त करने की अनुशं सरकार से की जाएगी ।

अन्य सभी बाह्य एवं अन्त: विषय में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षु व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जिला में भेजा जाएगा, परन्तु दो वर्ष के अन्दर निर्धारित समय पर उन्हें पुन: परीक्षा देने के लिए पी. टी. सी., हजारीबाग आ होगा । इन विषयों में उन्हें तीन प्रयास मिलेंगे और इसके बाद भी अगर वे अनु रहते हैं, तो उनकी परीक्ष्यमान अवधि की समाप्ति के लिए सरकार से अनुशंसा की जाएगी ।

यह आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी ।

ह० के० ए० जैकब ह०
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरी
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 14414 /प्रशि.
1-48-99

आरक्षी महानिरीक्षक ह प्रशिक्षण ह का कार्यालय , बिहार , पटना ।
पटना, दिनांक 27.10.99

प्रतिलिपि :- सभी आरक्षी महानिदेशक/अपर आरक्षी महानिदेशक/आरक्षी महानिरीक्षक /क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी उप-महानि आरक्षी अधीक्षक एवं समादेष्टा को सूचनार्थ प्रेषित ।

2. आरक्षी उप-महानिरीक्षक ह प्रशिक्षण ह-सह-प्राचार्य, पी. टी. सी., हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

3. आरक्षी अधीक्षक, एम. पी. टी. सी, पटना/आरक्षी अधीक्षक, सी. टी. स नाथनगर/ प्राचार्य, टी. टी. एस., जमालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

ह के० ए० जैकब ह
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरी
बिहार, पटना ।